न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **01/2018** आवंटन निरस्ती

श्री उदयलाल पिता श्री लच्छीराम डांगी, निवासी होली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री देवीलाल मुतबन्ना नाथुजी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
2. श्रीमती तलसीबाई (पिता नाथु जी) पत्नी रामा जी गाडरी, निवासी धारता तहसील मावली जिला उदयपुर
3. श्री मांगीलाल पिता पूरा जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
4. श्री देवीलाल पिता पूरा जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
5. श्री राकेश पिता वरदा जी गाडरी नाबालिग बविलायत संरक्षक नाना श्री पेमा पिता दोला जी गाडरी, हाल निवासी सालेराखुर्द, तहसील मावली जिला उदयपुर
6. श्रीमती चम्पा (पिता पूरा जी) पत्नी धन्ना जी गाडरी, निवासी सालेराखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर
7. श्री भूरालाल मुतबन्ना ठाकू जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
8. श्रीमती चुन्नी (पिता ठाकू जी) पत्नी भग्गा जी गाडरी, निवासी चुण्डावतखेडी, तहसील
   मावली जिला उदयपुर
9. श्री खेमराज पिता चेना जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
10. श्री गंगाराम पिता चेना जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
11. मु.वरदीबाई बेवा चेना जी गाडरी, निवासी होली तहसील मावली जिला उदयपुर
12. श्रीमती लोगी (पिता चेना जी) पत्नी बाबरू जी गाडरी, निवासी गादोली, तहसील मावली जिला उदयपुर
13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्टगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 13 एलोटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर डीगिंग ऑफ वेल्स एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट्स फोर एरीगेशन परपोजेज रूल्स

उपस्थितः 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,7,8,10,12

निर्णय

दिनांकः— 22.07.19

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 13 एलोटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर डीगिंग ऑफ वेल्स एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट्स फोर एरीगेशन परपोजेज रूल्स के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 20.08.1977 को नियमन सलाहकार कमेटी की राय से मौजा होली की बिलानाम/चरागाह की आराजी नम्बर 576 रकबा 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा दिनांक 01.07.1975 के पूर्व का कब्जा होना बताकर नियमन की राय देने से नाथु, पूरा, ठाकू, चैना पिता भग्गाा गाडरी निवासी होली को दिनांक 04.10.1977 को नियमन की गई। जो नियमन के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त नियमन की भूमि रास्ते से मिली हुई है। रास्ते से 50 गज छोडने के बाद ही आवंटन की जा सकती है। लेकिन आवंटित भूमि रास्ते से सटी हुई है। विवादित भूमि पर कुआ खोदने व उसका धोरा बनाये जाने से रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया है। वर्तमान में कुऐं का फैलाव रास्ते की भूमि में किये जाने से रास्ते में अवरोध पैदा हुआ है। जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। प्रार्थी को उसके खाते की भूमि पर आने जाने, हल—बैल, बैलगाडी, टेक्टर आदि लाने लेजाने का रास्ता कुए के पास से होकर जा रहा है। रास्ते से सटी जमीन पर आ.चा. को नियमन नहीं किया जाता है। जो नाजायज कब्जे की रिपोर्ट की गई। उसमें भी रास्ते से सटी होते हुये भी नहीं बताया गया है व धोखे से नियमन करवाया गया है। अतः निवेदन है कि आराजी नम्बर 576 रकबा 2 बिस्वा भूमि नाथू, पूरा, ठाकू, चैना पिता भग्गा गाडरी निवासी होली के नाम किये गये नियमन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1,7,12 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली हैं। प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार मावली से मंगवायी गई जो शामिल पत्रावली है।

विपक्षी संख्या 1,7,12 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विपक्षीगणों को नियमन सलाहकार समिति द्वारा मौजा होली के आराजी नं. 576 में से 2 बिस्वा भूमि वर्ष 1975 से पूर्व का कब्जा मान कर नियमन की गई। नियमन की गई भूमि रास्ते से काफी दूरी पर है। उक्त भूमि पर कब्जा 1977 से पूर्व का होकर कुआ खोदा गया। कुएं से पानी लेजाने हेतु धोरा बनाया गया जो काफी पुराना है, जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार से 2017 में भूमि क्रय की गई। पूर्व के किसी खातेदार को कभी कोई आपत्ति नहीं रही। विपक्षीगणों द्वारा कुए का कोई फैलाव नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस समय भूमि क्रय की गई थी उस समय भी कुआ, धोरा, प्याउ बनी हुई थी। रास्ते से आराम से हल–बैल, बैलगाडी, ट्रेटर आदि ले जा सकते है। अपने प्रभाव का प्रयोग कर जानबुझ कर विपक्षीगणों को परेशान किया जा रहा है। नियमन से पूर्व जांच की गई थी। विपक्षीगणों की पात्रता होने पर ही कुएं हेतु उक्त भूमि का नियमन किया गया था। लाखों रूपये लगाकर कुआ खोदा गया, कुएं के चारो तरफ पक्का बाउड्रीवाल बनायी गई।धोरा एवं पक्की प्याउ बनायी गई। प्याउ में गांव के मवेशी वगेरहा पानी पीते रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाया जाये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगणों के पूर्वाधिकारियों के नाम मौजा होली तहसील मावली के आराजी नंबर 576 रकबा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 01.07.1975 के पूर्व का कब्जा होने से नियमन कमेटी द्वारा नियमन की राय दिये जाने से उनकी राय के आधार पर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 04.10.1977 को नाथू,पूरा,ठाकू,चैना पिता भग्गा के नाम नियमन की गई। जिस पर इनके द्वारा कुआं खोदा गया। विपक्षीगणों द्वारा कुऐं का फैलाव कर रास्ते पर धौरा बनाया है, प्याउ बनाई हैं। रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है। जिससे आने–जाने में दिक्कत हो रही है। प्रार्थी द्वारा मौजा होली की आ.नं. 579 रकबा 4 बिघा 14 बिस्वा भूमि का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर आने–जाने, हल

बैलगाडी, ट्रेक्टर इसी रास्ते से ले जाने पडते है। परन्तु विपक्षीगणों द्वारा कुऐं का फैलाव कर पास में धौरा व प्याउ बनाने से रास्ता अवरोध कर दिया है। इसलिए उक्त संसाधन लाना–ले जाना मुश्किल हो गया है। अन्य काश्तकारों को भी अपने संसाधन लाने–ले जाने में मुश्किल हो रही है। आ.चा. के रास्ते में आ जाने से कोई दुर्घटना कारित हो सकती है। अतः उक्त आ.चा. के नियमन के आदेश को निरस्त कराया जाना फरमावे।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों को उक्त कुआं की भूमि 2 बिस्वा दिनांक 20.08.1977 को नियमन हुई थी। जिस पर विपक्षगणों द्वारा भारी लागत लगाा कर कुऐं का नवीनीकरण कराया गया। विपक्षगणों के खाते की भूमि इसी आ.चा. से सिंचित होती है। सदीप से इसी रास्ते का उपयोग आगे के काश्तकार करते आ रहे है। आदिनांक तक किसी भी काश्तकार को अपने संसाधन ले जाने में कोई रूकावट नहीं आई, ना ही किसी काश्तकार द्वारा कोई आपत्ति की गई । प्राथी द्वारा पूर्व खातेदार से वर्ष 2017 में भूमि क्रय की गई, तब से ही जानबुझ कर गरीब काश्तकारों को परेशान करने की नीयत से आये दिन शिकायत करते रहते है। यह प्रार्थनापत्र भी उसी क्रम में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत होली का सरपंच है। उसकी नीयत में खोट आ जाने से विपक्षीगणों को जानबुझकर परेशान कर रहा है एवं अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। वर्तमान में मौके पर पूर्व की भांति रास्ता कायम है। कुऐं का कोई फैलाव नहीं किया गया है। ना कोई आने–जाने में किसी को कोई परेशानी है। अतः कृपया प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। संलग्न पत्रावली विपक्षीगणों के पुर्वाधिकारियों को वादग्रस्त आराजीयात नियमन हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त आराजी 576 रकबा 2 बिस्वा भूमि का नियमन 20.08.1977 को नाथू,पुरा, ठाकु, चैना पिता भग्गा को

आ.चा. के रूप में नियमन हुआ। यानि कि उक्त भूमि पर 20.08.77 से पूर्व से ही कुआं स्थित था। तब से 03.01.18 तक किसी भी काश्तकार को रास्ते संबंधी समस्या नहीं थी। परन्तु प्रार्थी जो कि दिनांक 09.11.17 को पूर्व खातेदार से उसकी भूमि का हिस्सा खरीदकर खातेदार काश्तकार हुआ। जिसे रास्ते संबंधी समस्या आई। जिसके संबंध में तहसीलदार मावली से मौके की रिपोर्ट ली गई। जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.07.19 से यह अवगत कराया है कि आराजी संख्या 583 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। जिसमें पुराना धोरा पानी ले जाने के लिए जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बना हुआ है, जिससे रास्ते में ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने में अवरोध हो रहा है। वर्तमान में कुआ के सहभागीदारों ने जाहिर किया कि आगे खेतों में पानी ले जाने लिए जमीन के अन्दर पाईप लाईन डाल रखी है। अतः धोरे की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया है कि रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षीगणों के नाम दिनांक 20.08.77 को हुए नियमन को निरस्त किया जाना अन्याय संगत होगा। अतिविलम्ब से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। तहसीलदार मावली को यह आदेशित किया जाता है कि आराजी नंबर 583 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता में पुराना धोरा जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बना हुआ है उसे खातेदारों से हटवाकर समतलीकरण करवा ले ताकि रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो ।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को प्रेषित की जावें एवं उपखण्ड अधिकारी मावली को उनकी आवंटन पत्रावली संख्याा 766/77 मय निर्णय के प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर